न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 27 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. केराराम 2. कालाराम 3. शंकरराम पिसरान प्रागा 4. देसु 5. पंखु 6. सुकी 7. सगरती पुत्रीयान प्रागा 8. प्रभा 9. सालू पिसरान मना जातियान रेबारी निवासीयान रतनपुर तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर		1. कालाराम 2. जोराराम 3. बाबूराम पिसरान वजाराम 4. जेरूपाराम 5. बालकाराम 6. होतीराम पिसरान रीदाराम जातियान रेबारी निवासीयान मारूवाडा 7. हरकिशन 8. हरजीराम पिसरान गोदा जातियान रेबारी निवासीयान रतनपुर 9. अणसी 10. चम्पा 11. बादली 12. मेती पुत्रीयान रीदाराम जातियान रेबारी निवासीयान मारूवाडा 13. सुरताराम पुत्र अजबाराम जाति रेबारी निवासी मारूवाडा 14. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 5, 6, 13 के अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 14 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक – 17.07.2023

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा रतनपुर तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 64 रकबा 3.91 हे. आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। खातेदार लेरीदेवी पत्नि प्रागा की मृत्यु हो चुकी है। जिनके कायम मुकाम वारीसान का नाम पूर्व से ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी आ[illegible]सरा नंबर 64 के पड़ौस में दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से [illegible] मौजा रतनपुर के खसरा नंबर 65 रकबा 2.67 हे. आई हुई है। जिसकी खातेदारी [illegible] राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के नाम स दर्ज हैं तथा प्रार्थीगण की [illegible] आराजी खसरा नंबर 64 के उतर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:26 IST
Reason: SelfAttested

दिशा में अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की खातेदारी आराजी मौजा रतनपुर खसरा नंबर 46 रकबा 3.06 हे. आई हुई है। तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नंबर 64 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 9 से 12 की खातेदारी मौजा मारूवाड़ा के खसरा नंबर 199 रकबा 1.80 हे. आई हुई जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 9 से 12 व मृतक प्रभी पत्नि रीदाराम के नाम दर्ज है। प्रभी की मृत्यु हो चुकी है। इनके कायम मुकाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नंबर 64 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की खातेदारी आराजी मौजा मारूवाड़ा के खसरा नंबर 681/196 रकबा 0.78 हे. आई हुई है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 4 से 6 के नाम दर्ज हैं तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नंबर 64 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 13 की खातेदारी आराजी मौजा मारूवाड़ा के खसरा नंबर 666/192 रकबा 2.11 हे. आई हुई है।

प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 64 व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की खातेदारी आराजीयान खसरा नंबर 65, 46, 199, 681/196, 666/192 की सीमा को लेकर विवाद है। उक्त सीमा विवाद को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 13 प्रार्थीगण से सीमा पर हमेशा विवाद करते रहते है। सीमा को लेकर विवाद होने पर प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा से उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 13 दिनांक 12.04.2022 के जरिये उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश दिये गये थे, उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी रतनपुर दिनांक 18.04.2022 को मौके पर पैमाईश हेतु गये तथा जरीब चला कर सीमांकन किया परन्तु मौके पर सीमा का विवाद होने से खातेदारान उक्त पैमाईश से संतुष्ट नहीं हुए तथा निशानात करने से मना कर दिया तथा हल्का पटवारी रतनपुर द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के आदेश की सही रूप से पालना नहीं की जा सकी।

2. प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 64 व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की खातेदारी आराजीयान खसरा नंबर 65, 46, 199, 681/196, 666/192 की सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 13 प्रार्थीगण से सीमा पर विवाद करते रहते है। इसलिए प्रार्थीगण अपने नाम की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 64 व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 65, 46, 199, 681/196, 666/192 की पैमाईश कर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की खातेदारी आराजी की बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगड्ढी करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि सरहद मौजा रतनपुर तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 64 रकबा 3.91 हे. व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी आराजी मौजा रतनपुर के खसरा नंबर 65 रकबा 2.67 हे. व अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की खातेदारी आराजी मौजा रतनपुर खसरा नंबर 46 रकबा 3.06 हे व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 9 से 12 की खातेदारी मौजा मारूवाड़ा के खसरा नंबर 199 रकबा 1.80 हे. व अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की खातेदारी आराजी मौजा मारूवाड़ा के खसरा नंबर 681/196 रकबा 0.78 हे. व अप्रार्थी संख्या 13 की खातेदारी आराजी मौजा मारूवाड़ा के खसरा नंबर 666/192 रकबा 2.11 हे. के बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगड्ढी करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:26 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 7 से 12 को आज के बाद नोटिस तामिल कोई उपस्थित

नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 5, 6, 13 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दिया गया। व अप्रार्थी संख्या 14 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 5, 6, व 13 के द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा रतनपुर तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की आराजीयान खसरा नम्बर 64, 65, 199, 681/196, 666/192 के बीच की सीमा का कोई विवाद नहीं हैं। मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की उक्त आराजी के बीच पुरानी माठ कायम है। तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की पीठ पिछ अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की आराजी को हड़प करने की नियत से कोई बाले बाले पैमाईश आदेश करवा कर पैमाईश करवाई हो तो उसकी जानकारी जवाब देहन्दा को नहीं हैं। हल्का पटवारी द्वारा जवाब देहन्दा की आराजीयान की कोई पैमाईश नहीं की। तथाकथित हल्का पटवारी रतनपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2022 भी जवाब देहन्दा के पीठ पिदे तैयार की गई हैं, जो अस्वीकार है । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज हैं।

प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर अदालत हाजा को गुमराज करने की नियत से कब्जा व खातेदारी हक के विवाद के तथ्यों को छुपाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 अपनी अपनी खातेदारी आराजीयान में शांतिपूर्वक काबिज है तथा मौके पर पुरानी माठ बनी हुई है। प्रार्थीगण प्रकरण हाजा की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के कब्जे काश्त में दखल करने की फिराक में है। जिसकी अनुमति दिया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमावे।

5. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 64 रकबा 3.91 हे. व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी आराजी मौजा रतनपुर के खसरा नंबर 65 रकबा 2.67 हे. व अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की खातेदारी आराजी मौजा रतनपुर खसरा नंबर 46 रकबा 3.06 हे व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 9 से 12 की खातेदारी मौजा मारूवाड़ा के खसरा नंबर 199 रकबा 1. 80 हे. व अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की खातेदारी आराजी मौजा मारूवाड़ा के खसरा नंबर 681/196 रकबा 0.78 हे. व अप्रार्थी संख्या 13 की खातेदारी आराजी मौजा मारूवाड़ा के खसरा नंबर 666/192 रकबा 2.11 हे. के बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थरगड़्ढी करने का निवदेन किया।

अप्रार्थी संख्या 5, 6 व 13 के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 अपनी – अपनी खातेदारी आराजीयान में शांतिपूर्वक काबिज है तथा मौके पर पुरानी माठ बनी हुई है। प्रार्थीगण प्रकरण हाजा की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के कब्जे काश्त में दखल करने की फिराक में है। अतः श्रीमानजी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमावे। अप्रार्थी संख्या 14 राजपेरोकार द्वारा बहस में पत्थरगढी करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं कि गई। व विवाद होने पर पत्थरगढी करवाने का निवदेन किया।

6. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5, 6, 13 के विद्वांन अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 14 राजपेरोकार के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.04.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से खेरा नम्बर 64 का सीमांकन करवाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusum Lata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:26 IST
Reason: SelfAttested

पड़ौसी खातेदारों का सीमाकंन निशानात् नहीं करवाने दिये गए व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा रतनपूर के खसरा नम्बर 64 व 65, 46, 199, 681/196, 666/192 के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा रतनपुर पटवार हल्का रतनपुर के खसरा नम्बर 64 व 65, 46, 199, 681/196, 666/192 के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.08.02 12:22:26 IST
Reason: SelfAttested